

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0बजट आवंटन-12/2015

08 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 01 मई, 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/भभुआ/गया/
जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान/मुजफ्फरपुर/पूर्वी
चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/
समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/शेखपुरा/लखीसराय/जमुई/खगड़िया/भागलपुर/
बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार।

विषय :

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 में कुल मो0-1,88,0000000 (एक अरब अठासी करोड़ रुपये) का उप आवंटन।

महाशय,

विभागीय पत्रांक-1993 दिनांक 27.04.2015 द्वारा कर्णांकित राशि मो0-4,13,0800000 (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख रुपये) को विभागीय पत्रांक-07(आवंटन) दिनांक-27.04.2015 द्वारा आवंटित किया जा चुका है।

पुनः उपर्युक्त विषयक कृषि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-2040 दिनांक 1.5.2015 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1/प्रा0आ0-0-3-23/15-16(सा0अनु0)/आ0 प्र0 दिनांक 30.04.2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N-2245021140001 में उपलब्ध कराए गए कुल मो0 1880000000 रुपये (एक अरब अठासी करोड़) रुपये मात्र को निम्न प्रकार जिलावार कर्णांकित किया गया है :-

जिलावार कर्णांकित राशि को व्यय हेतु निम्न प्रकार उप-आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पूर्व में विभागीय पत्रांक-07(आवंटन) दिनांक-27.04.15 द्वारा उप आवंटित राशि (रु० में)	वर्तमान उप-आवंटित राशि (रु० में)	कुल उप आवंटित राशि (रु० में)
1	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	78770000	0.00	78770000
2	नालंदा	जिला पदाधिकारी, नालंदा	129585000	110000000	239585000
3	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	111939000	50000000	161939000
4	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	157699000	0.00	157699000
5	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	198612000	100000000	298612000
6	भभुआ	जिला पदाधिकारी, भभुआ	11702000	0.00	11702000
7	गया	जिला पदाधिकारी, गया	70132000	50000000	120132000
8	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	8450000	0.00	8450000

9	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	1673000	0.00	1673000
10	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	363000	0.00	363000
11	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	144644000	50000000	194644000
12	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	7212000	20000000	27212000
13	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	294359000	0.00	294359000
14	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	255910000	150000000	405910000
15	पूर्वी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	371445000	100000000	471445000
16	पश्चिमी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण	139613000	100000000	239613000
17	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	105553000	100000000	205553000
18	शिवहर	जिला पदाधिकारी, शिवहर	70734000	0.00	70734000
19	वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	119305000	50000000	169305000
20	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	186448000	100000000	286448000
21	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	231522000	100000000	331522000
22	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	218135000	100000000	318135000
23	बेगूसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	158244000	100000000	258244000
24	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	29927000	0.00	29927000
25	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	34474000	0.00	34474000
26	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	11953000	0.00	11953000
27	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	38541000	0.00	38541000
28	खगड़िया	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	149454000	50000000	199454000
29	भागलपुर	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	140040000	100000000	240040000
30	बांका	जिला पदाधिकारी, बांका	70507000	70000000	140507000
31	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	100493000	50000000	150493000
32	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	77744000	50000000	127744000
33	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	91515000	100000000	191515000
34	पूर्णिया	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	153451000	100000000	253451000
35	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	43385000	50000000	93385000
36	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	105067000	0.00	105067000
37	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	12200000	30000000	42200000
योग—			4130800000	1880000000	6010800000
कुल योग—(एक अरब अठासी करोड़ रुपये) मात्र					

2. उपरोक्त मो0— 1880000000 रुपये (एक अरब अठासी करोड़) रुपये मात्र का व्यय गैर योजना मुख्य बजटशीर्ष—2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष—02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष—114 कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष—0001—कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) माँग संख्या—39 विषयशीर्ष—3106—सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्र कोड—N-2245021140001 के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के झापांक—ब—17/आपदा—बी0सी0एफ0—67/2015 दिनांक 26.04.2015 तथा आपदा प्रबंधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या—45/आ0प्र0 दिनांक 26.04.2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
3. वित्त विभाग के पत्रांक—2561 वि(2) दिनांक—17.04.98 के आलोक में राशि आवंटित है।

4. विभागीय कार्यालयादेश संख्या-2040 दिनांक- 1.5.2015 एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1/प्रा०आ०-0-3-23/15-16(सा०अनु०)/आ० प्र० दिनांक 30.04.2015 में उल्लेखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यय के तुरत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

15/01/2015
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 08 (का०१२०)

/कृ०, पटना, दिनांक 01 मई, 2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2015

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 08 (का०१२०)

/कृ०, पटना, दिनांक 01 मई, 2015

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2015

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : 08 (का०१२०)

/कृ०, पटना, दिनांक 01 मई, 2015

प्रतिलिपि : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य), योजना, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि बिहार, पटना के विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

15/01/2015

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

बिहार सरकार कृषि विभाग

संचिका संख्या-मो० -20/15(सांख्यिकी)-

2040

/कृ०, पटना, दिनांक 01 मई, 2015

स्वीकृत्यादेश

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1/प्रा०आ०-0-3-23/15-16(सा०अनु०)/आ० प्र० दिनांक 30.04.2015 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड- N2245021140001 में कुल 18800.00 लाख रुपये (एक अरब अठासी करोड़) रुपये मात्र को निम्न प्रकार जिलावार कर्णांकित किया जाता है :-

राशि : लाख रु० में

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अधियाचित राशि	पत्रांक 1993 दिनांक 27.04. 2015 द्वारा कर्णांकित राशि	वर्तमान में कर्णांकित राशि	कुल कर्णांकित राशि
1	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	2430.79	787.70	0.00	787.70
2	नालन्दा	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	5681.67	1295.85	1100.00	2395.85
3	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	4492.43	1119.39	500.00	1619.39
4	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	7018.19	1576.99	0.00	1576.99
5	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	8961.65	1986.12	1000.00	2986.12
6	भभुआ	जिला पदाधिकारी, भभुआ	460.37	117.02	0.00	117.02
7	गया	जिला पदाधिकारी, गया	2947.06	701.32	500.00	1201.32
8	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	84.50	84.50	0.00	84.50
9	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	16.73	16.73	0.00	16.73
10	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	3.63	3.63	0.00	3.63
11	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	6135.11	1446.44	500.00	1946.44
12	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	326.67	72.12	200.00	272.12
13	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	13785.75	2943.59	0.00	2943.59
14	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	11235.60	2559.10	1500.00	4059.10
15	पूर्वी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	16253.80	3714.45	1000.00	4714.45
16	पश्चिमी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण	5670.63	1396.13	1000.00	2396.13
17	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	4140.24	1055.53	1000.00	2055.53
18	शिवहर	जिला पदाधिकारी, शिवहर	3016.22	707.34	0.00	707.34
19	वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	4930.16	1193.05	500.00	1693.05
20	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	6733.68	1864.48	1000.00	2864.48
21	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	9338.05	2315.22	1000.00	3315.22
22	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	10263.78	2181.35	1000.00	3181.35
23	बेगूसराय	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	6484.34	1582.44	1000.00	2582.44
24	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	1149.42	299.27	0.00	299.27
25	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	1342.86	344.74	0.00	344.74
26	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	272.71	119.53	0.00	119.53

27	जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	1569.72	385.41	0.00	385.41
28	खगड़िया	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	6805.57	1494.54	500.00	1994.54
29	भागलपुर	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	5839.48	1400.40	1000.00	2400.40
30	बांका	जिला पदाधिकारी, बांका	3107.64	705.07	700.00	1405.07
31	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	4514.27	1004.93	500.00	1504.93
32	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	3048.06	777.44	500.00	1277.44
33	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	4145.04	915.15	1000.00	1915.15
34	पूर्णिया	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	6950.34	1534.51	1000.00	2534.51
35	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	1965.06	433.85	500.00	933.85
36	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	4758.89	1050.67	0.00	1050.67
37	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	555.81	122.00	300.00	422.00
38	गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	-	-	-	-
कुल			176435.88	41308.00	18800.00	60108.00

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001- कृषि इनपुट अनुदान(क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) माँग संख्या - 39 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा विपत्र कोड N2245021140001 के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक-ब-17/आपदा-बी0सी0एफ0-67/2015 दिनांक 26.04.2015 तथा आपदा प्रबंधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-45/आ0प्र0 दिनांक 26.04.2015 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
3. मार्च/अप्रैल 2015 में ओलावृष्टि से 37 जिलों में हुई क्षतिग्रस्त फसलों के लिए SDRF के मानदर के अनुरूप किसानों को देय कृषि इनपुट अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। शेष राशि इस आवंटन का 75% व्यय हो जाने के उपरांत आवंटित की जाएगी। अनुरोध है कि प्रभावित कृषकों को आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 1388/आ० प्र० दिनांक 24.07.2004 द्वारा गठित अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति की देखरेख में RTGS/Cheque(account payee) के माध्यम से राशि का भुगतान कराया जाय तथा लाभुकों की सूची जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करायी जाय। SDRF का मानदर जो भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014-NDM-i दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत है, को आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
4. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए० सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी० सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2016 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
6. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का

मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किए गए विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।
9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
10. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।
11. अनुरोध है कि उपआवंटित की गई राशि, संबंधित कोषागार तथा डी० डी० ओ० कोड अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय ताकि सी० टी० एम० आई० एस० माध्यम से आवंटन को ऑन लाइन प्रविष्टि किया जा सके।

विश्वासभाजन

(135/01/5/2015)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो० - 20/15 - 2040

/क०, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(135/01/5/2015)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो० 20/15 - 2040

/क०, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(135/01/5/2015)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो० 20/15 - 2040

/क०, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निदेशक(शष्प), परिक्षेत्र/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(135/01/5/2015)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो० - 20/15 - 2040

/क०, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि : अपर सचिव, कृषि विभाग/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, पी० पी० एम०/सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(135/01/5/2015)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञाप संख्या : मो० - 20/15 - 2040

/क०, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(135/01/5/2015)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।